सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –31.08.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 02 अभियोग में 02 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– कोतवाली उरई क्षेत्रान्तर्गत अवैध मादक पदार्थों (6.6 कि0ग्रा0 गांजा) की तस्करी करते हुये पकड़े जाने पर अभियुक्त दिलीप अहिरवार पुत्र अच्छेलाल निवासी अतरा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर के विरुद्ध थाना कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 280/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 31.08.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी/एनडीपीएस कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त दिलीप उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।।

प्रकरण द्वितीय – कोतवाली उरई क्षेत्रान्तर्गत अवैध मादक पदार्थों (1.2 कि0ग्रा0 गांजा) की तस्करी करते हुये पकड़े जाने पर अभियुक्त आशीष द्विवेदी उर्फ आशू पण्डित पुत्र सुरेन्द्र द्विवेदी निवासी निवासी मो0 इन्द्रानगर कोतवाली उरई जनपद जालौन के विरुद्ध थाना कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 1306/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 31.08.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी/एनडीपीएस कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त आशीष द्विवेदी उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।।